संख्या-जी-2-709/दस-2009-306/2009

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांकः 12 मई, 2009

विषयः— **कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रेषित भूमि/भवन के "अदेयता प्रमाण-पत्र" एवं सामान्य भविष्य निधि के अंतिम अवशेष 10 प्रतिशत के "प्राधिकार पत्रों" के प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

आप भिज्ञ ही हैं कि भूमि/भवन को बन्धक मुक्त तभी कराया जा सकता है, जब कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से **"अदेयता प्रमाण-पत्र"** सम्बन्धित विभाग को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार शासकीय सेवक/पात्र शिक्षक की सेवानिवृत्ति पर उसके सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम अवशेष 10 प्रतिशत का भुगतान कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त **"प्राधिकार-पत्र"** पर ही सम्बन्धित विभाग द्वारा कराया जा सकता है।

2—अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आप अपने स्तर से अपने अधीनस्थ आहरण—वितरण अधिकारियों को यह निर्देशित कर दें कि वे ऐसे प्रकरणों को जिन्हें कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजा जा चुका है, उसे वे व्यक्तिगत तौर से कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से सम्पर्क कर 15 दिनों के अन्दर ही **"अदेयता प्रमाण-पत्र"** एवं **"प्राधिकार-पत्र"** प्राप्त करने का कष्ट करें, ताकि सेवानिवृत्त शासकीय सेवक/पात्र शिक्षक अपने समस्त दायित्वों का सुगमतापूर्वक निर्वहन कर सकें।

भवदीय,
अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव।

संख्या जी-2-709(1)/दस-2009-306/2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) प्रमुख सचिव/विधान सभा/विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय, प्रबन्ध एवं शोध संस्थान, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।
(5) शासन के समस्त विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव।
(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(7) प्रदेश के समस्त कोषाधिकारी।

आज्ञा से,
हेमन्त कुमार सक्सेना,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 11 सा० वित—1—6—2009—(333)—5,000 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)

संख्या-जी–2–709/दस–2009–306/2009

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांकः 12 मई, 2009

विषयः– **कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रेषित भूमि/भवन के "अदेयता प्रमाण-पत्र" एवं सामान्य भविष्य निधि के अंतिम अवशेष 10 प्रतिशत के "प्राधिकार पत्रों" के प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2

आप भिज्ञ ही हैं कि भूमि/भवन को बन्धक मुक्त तभी कराया जा सकता है, जब कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से **"अदेयता प्रमाण-पत्र"** सम्बन्धित विभाग को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार शासकीय सेवक/पात्र शिक्षक की सेवानिवृत्ति पर उसके सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम अवशेष 10 प्रतिशत का भुगतान कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त **"प्राधिकार-पत्र"** पर ही सम्बन्धित विभाग द्वारा कराया जा सकता है।

2–अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आप अपने स्तर से अपने अधीनस्थ आहरण–वितरण अधिकारियों को यह निर्देशित कर दें कि वे ऐसे प्रकरणों को जिन्हें कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजा जा चुका है, उसे वे व्यक्तिगत तौर से कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से सम्पर्क कर 15 दिनों के अन्दर ही **"अदेयता प्रमाण-पत्र"** एवं **"प्राधिकार-पत्र"** प्राप्त करने का कष्ट करें, ताकि सेवानिवृत्त शासकीय सेवक/पात्र शिक्षक अपने समस्त दायित्वों का सुगमतापूर्वक निर्वहन कर सकें।

भवदीय,
अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव।

संख्या जी–2–709(1)/दस–2009–306/2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) प्रमुख सचिव/विधान सभा/विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय, प्रबन्ध एवं शोध संस्थान, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।
(5) शासन के समस्त विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव।
(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(7) प्रदेश के समस्त कोषाधिकारी।

आज्ञा से,
हेमन्त कुमार सक्सेना,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 11 सा० वित्त–1–6–2009–(333)–5,000 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)